[2011] 5 एस.सी.आर. 577

फहीम खान

बनाम

बिहार राज्य अब झारखंड

(2009 की आपराधिक अपील संख्या 2081)

अप्रैल 21, 2011

[हरजीत सिंह बेदी और चंद्रमौलि के. आर. प्रसाद, जे.जे.]

दंड संहिता, 1860:

धारा 302 - हत्या - पीड़ित को उसकी मां की मौजूदगी में तीन आरोपियों ने गोली मार दी - ट्रायल कोर्ट द्वारा बरी: - उच्च न्यायालय में अपील के लंबित रहने के दौरान दो आरोपियों की मौत हो गई - उच्च न्यायालय द्वारा जीवित आरोपी को दोषी ठहराया गया जिसने गोली चलाई थी - **निर्णित**: मृतक की मां के साक्ष्य को अन्य गवाहों ने समर्थन दिया है - उसके साक्ष्य पूर्ण विश्वास पैदा करते हैं - एफआईआर दर्ज करने और विशेष रिपोर्ट भेजने में देरी, स्पष्टीकरण - सह-कल्पना बरकरार - दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 - धारा 157 (3) और 313 - बरी किए जाने के खिलाफ अपील।

क्रिमिनल प्रक्रिया संहिता, 1973:

धारा 313 - अभियुक्त की जांच करने की ट्रायल कोर्ट की शक्ति - माना गया: हालांकि दर्ज किए गए अभियुक्त के बयान बेहद औपचारिक हैं, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष भी किसी भी स्तर पर अभियुक्त के प्रति कोई पूर्वाग्रह नहीं बताया गया है - इसलिए, यह माना जाना चाहिए कि वास्तव में कोई पूर्वाग्रह नहीं हुआ है - दंड संहिता, 1860 - धारा 302 ।

बरी किए जाने के खिलाफ अपील - बरी किये जाने के खिलाफ अपील - हत्या - ट्रायल कोर्ट द्वारा बरी किया जाना - उच्च न्यायालय द्वारा धारा 302/पीसी के तहत दोषसिद्धि - **निर्णित:** उच्च न्यायालय पूरे साक्ष्य का पुनः मूल्यांकन कर सकता है और यदि यह पाया जाता है कि ट्रायल कोर्ट का निर्णय प्रतिकूल था या साक्ष्य के खिलाफ था, तो उच्च न्यायालय को मामले में हस्तक्षेप करना होगा - दंड संहिता, 1860 - धारा 302 ।

अपीलार्थी-अभियुक्त दो अन्य लोगों के साथ 10.5.1989 को रात लगभग 11.30 बजे उस स्थान पर गया, जहां पीडब्लू-4 का बेटा सो रहा था। पीडब्लू-4 ने कहा कि उसके बेटे ने बिस्तर पर जाने के बाद उससे एक गिलास पानी मांगा और जब उसने उसके लिए एक बोतल निकाली तो उसने देखा कि तीन आरोपी उसे घेर रहे हैं। जब उसने उनसे पूछताछ की तो अपीलार्थी-अभियुक्त ने उसके बेटे के सिर पर गोली मार दी, जिससे उसकी तुरंत मौत हो गई। पीडब्लू-2 ने पुलिस को सूचित किया। पीडब्लू-4 का बयान पुलिस ने 11-5-1989 को 0:10 बजे दर्ज किया और पुलिस स्टेशन में सुबह 3.00 बजे औपचारिक एफआईआर दर्ज की गई। ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को बरी कर दिया। लेकिन राज्य की अपील पर उच्च न्यायालय ने आरोपी-अपीलकर्ता को धारा 302 के तहत दोषी ठहराया क्योंकि अन्य दो अभियुक्तों की अपील लंबित रहने तक मृत्यु हो गई थी।

दोषी द्वारा दायर की गई इस अपील में अपीलकर्ता की ओर से तर्क दिया गया कि एक बार जब ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को बरी कर दिया था, तो उच्च न्यायालय को बरी करने के फैसले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था; एफआईआर दर्ज करने में देरी हुई क्योंकि जांच रिपोर्ट में एफआईआर नंबर नहीं था; पीडब्लू-4 का बयान कि उसने अपने बेटे को उठाने की कोशिश की थी, गलत था क्योंकि इस बात का कोई सबूत नहीं था कि उसके कपड़ों पर खून के धब्बे थे; धारा 313 के तहत आरोपी के बयान औपचारिक तरीके से दर्ज किए गए थे।

अपील को खारिज करते हुए, न्यायालय ने

निर्णित: 1. 1. यह सच है कि बरी किए जाने के खिलाफ अपील में उच्च न्यायालय का हस्तक्षेप कुछ हद तक सीमित है, और हस्तक्षेप केवल उस मामले में किया जाना चाहिए

जहां ट्रायल कोर्ट का फैसला गलत था और सबूतों पर आधारित नहीं था। हालांकि, यह अच्छी तरह से स्थापित है कि उच्च न्यायालय ट्रायल कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले का परीक्षण करने के लिए पूरे सबूतों का फिर से मूल्यांकन कर सकता है और यदि दो दृष्टिकोण संभव हैं, तो ट्रायल कोर्ट द्वारा लिए गए एक में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। इसके विपरीत, यदि यह पाया जाता है कि ट्रायल कोर्ट का फैसला गलत था या सबूतों के खिलाफ था, तो यह न्याय का उपहास होगा यदि उच्च न्यायालय चुपचाप बैठा रहे और मामले में हस्तक्षेप न करे। [पैरा ए 5] [583-जी-एच; 584-ए-बी]।

2.1 2.1 एफआईआर दर्ज करने में देरी की दलील, क्योंकि जांच रिपोर्ट में एफआईआर नंबर नहीं था, स्वीकार नहीं की जा सकती क्योंकि यह इस धारणा से निकलती है कि एफआईआर घटनास्थल पर दर्ज की गई थी। यह कभी भी स्थिति नहीं हो सकती क्योंकि एफआईआर हमेशा पुलिस स्टेशन में दर्ज की जाती है। यह सबूत में आया है कि पीडब्लू-4 का बयान 11.5.1989 को लगभग _Q:10 बजे सब-इंस्पेक्टर (पीडब्लू-7) द्वारा घटनास्थल पर दर्ज किया गया था। यह बयान पुलिस स्टेशन ले जाया गया था और औपचारिक एफआईआर सुबह 3:00 बजे दर्ज की गई थी। यह महत्वपूर्ण है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार शव 11.5.1989 को सुबह 6:30 बजे अस्पताल में प्राप्त हुआ था, यानी एफ.आई.आर. के 3 घंटे के भीतर सभी प्रासंगिक कागजात के साथ जिसमें जांच के कागजात शामिल होंगे। यह सच है कि धारा 157(3) सीआरपीसी के तहत विशेष रिपोर्ट दो दिनों के बाद मजिस्ट्रेट को सूचना प्राप्त हुई लेकिन बताया गया कि बिहार राज्य में यह एक सामान्य प्रक्रिया है। [पैरा 6) [584-सी-एफ]।

2.2 2.2 यह दलील कि पी.डब्लू.-4 घटनास्थल पर मौजूद नहीं था, भी उतनी ही बेबुनियाद है। अपने साक्ष्य में उसने स्पष्ट रूप से कहा है कि जब उसके बेटे ने पानी का गिलास मांगा था तो उसने उसके लिए एक बोतल निकाली थी और गोलीबारी देखी थी। उसने यह भी कहा कि अपीलकर्ता और उसके दामाद के बीच संबंध तनावपूर्ण थे और इसी कारण उसके बेटे की हत्या कर दी गई। उसने यह भी बताया कि वह अपनी बेटी के घर आई थी

क्योंकि उसे बच्चे को जन्म देना था और इस प्रक्रिया में वह घटना के समय मौजूद थी। उसने पूछताछ के दौरान अदालत में तीनों आरोपियों की पहचान भी की। उसके साक्ष्य से यह भी पता चलता है कि उसने अपने बेटे को गोली लगने के बाद उसे उठाने की कोशिश की थी लेकिन इस कथन से यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि उसके कपड़ों पर खून के गहरे दाग थे। [पैरा 7) [584-एफ-एच; 585-ए-बी]

2.3 यह भी महत्वपूर्ण है कि पीडब्लू-4 का बयान पीडब्लू-2 के साक्ष्य द्वारा समर्थित है। यह वह गवाह था जिसने हत्या की सूचना पुलिस स्टेशन को दी थी जिसने पुलिस पार्टी को घटनास्थल पर लाया था। पीडब्लू-2 ने कहा कि जब वह एक फिल्म देखकर घर लौटा, तो उसने देखा कि मृतक का शव वहाँ पड़ा था और उसकी माँ उस पर रो रही थी। उसने यह भी कहा कि मृतक अपने बहनोई के घर में रहता था और उसकी माँ उनके साथ रहती थी। अभियोजन पक्ष की कहानी पीडब्लू-7, सब-इंस्पेक्टर के साक्ष्य द्वारा भी समर्थित है। यह वह अधिकारी था जिसने घटनास्थल पर पीडब्लू-4 का बयान दर्ज किया था और फिर उसे एफआईआर दर्ज करने के लिए पुलिस स्टेशन भेजा था। इसलिए, पीडब्लू-4 द्वारा दी गई अभियोजन पक्ष की कहानी इस तथ्य के बावजूद पूर्ण विश्वास दिलाती है कि पीडब्लू-1 जिसके घर के बाहर घटना घटी, ने अभियोजन पक्ष का समर्थन नहीं किया। [पैरा 7-8] [585-बी-ई]।

3. यह सच है कि सीआरपीसी की धारा 313 के तहत दर्ज किए गए अभियुक्तों के बयान बेहद सतही हैं और धारा की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते हैं। हालाँकि, इस संबंध में किसी भी स्तर पर कोई तर्क नहीं उठाया गया था, हालाँकि मामला पहले भी कई बार अपीलीय सीढ़ी पर ऊपर-नीचे जा चुका था। यहाँ तक कि एसएलपी में भी ऐसा कोई आधार नहीं उठाया गया है। इस आंकड़े पर किसी भी शिकायत के अभाव में, यह मान लेना चाहिए कि अपीलकर्ता को दोषपूर्ण 313 बयान के कारण कोई पूर्वाग्रह नहीं हुआ है। [पैरा 9] [585-एफ-एच; 586-ए]।

शोभित चमार और अन्य। (ग) एससीसी 455; शिवाजी साहेबराव बोबडे बनाम महाराष्ट्र राज्य एआईआर 1973 एससी 2622; और संतोष कुमार सिंह बनाम सीबीआई के माध्यम से राज्य 2010 (13) एससीआर 901 = 2010 (9) एससीसी 747- पर भरोसा किया।

(6) एससीसी 595 के रूप में 2009 (6) एससीसी 595 उद्धृत किया गया है।

केस लॉ संदर्भ:

2009 (6)	**एससीसी 595**	**उद्धृत**	**पैरा 3**
2008 (16)	**एससीसी 328**	**उद्धृत**	**पैरा 3**
1998 (2)	**एससीआर 117**	**पर भरोसा किया**	**पैरा 9**
(एआईआर 1973 एससी 2622)		**पर भरोसा किया**	**पैरा 9**
2010 (13) एससीआर 901		**पर भरोसा किया**	**पैरा 9**

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील के आसपास

2009 की संख्या 2081।

रांची में झारखंड उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 25.06.2009 से सरकार की अपील संख्या 3 में 1992 (R)

सुशील कुमार, फिरोज अहमद, आरएस शर्मा, आदित्य कुमार, अनमोल ठकराल, रंजन द्विवेदी अपीलकर्ता के लिए।

प्रतिवादी के लिए रतन कुमार चौधरी, ब्रह्मजीत मिहरा, अक्षय शुक्ला।

न्यायालय का निर्णय हरजीत सिंह बेदी जे.. द्वारा दिया गया-

1. फहीम खान-अपीलकर्ता, यहां दो अन्य छोटना उर्फ छोटू उर्फ करीम खान और अरसद हुसैन उर्फ अरसद उर्फ अरसद कादरी हुसैन के साथ सगीर हसन सिद्दीकी की हत्या

करने के आरोप में मुकदमा चलाया गया था। ट्रायल कोर्ट ने सत्र परीक्षण संख्या 122/1990 में 15 जून, 1991 को अपने फैसले में सभी आरोपियों को बरी कर दिया था, जिसमें कहा गया था कि अभियोजन पक्ष की कहानी साबित नहीं हुई है। बिहार राज्य ने इस फैसले को अपील में उच्च न्यायालय में चुनौती दी। अपील को एक खंडपीठ ने 13 अप्रैल, 2000 को अपने फैसले में स्वीकार कर लिया और मामले को ट्रायल कोर्ट को वापस भेज दिया ताकि पक्षों की ओर से पहले से पेश किए गए साक्ष्यों पर नए सिरे से फैसला सुनाया जा सके। हालांकि, अभियुक्त ने आपराधिक अपील संख्या 661/2001 में इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। उच्च न्यायालय के आदेश को 12 मई, 2001 को रद्द कर दिया गया और मामले को इस निर्देश के साथ वापस भेज दिया गया कि उच्च न्यायालय को स्वयं मामले के गुण-दोष पर विचार करना चाहिए और उस पर निर्णय लेना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसरण में, मामले की सुनवाई की गई और उच्च न्यायालय ने, इस आक्षेपित निर्णय द्वारा, अपीलकर्ता को दोषमुक्त करने के निर्णय को रद्द कर दिया और कहा कि निचली अदालत का निर्णय गलत था, और उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। यह प्रासंगिक है कि करीम खान और अरसद हुसैन-अभियुक्त की उच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाही के दौरान मृत्यु हो गई और आज की स्थिति में हमारे पास अपीलकर्ता-फहीम खान ही बचा है।

2. मामले के तथ्य इस प्रकार हैं: 10 मई, 1989 को रात लगभग 11:30 बजे मृतक सगीर हसन सिद्दीकी खाना खाने के बाद आलमगीर (पीडब्लू-1) के घर के सामने एक खाट पर सोने चला गया, जो उसके लिए तैयार की गई थी। थोड़ी देर बाद उसने अपनी मां श्रीमती हबीबुल निसा (पीडब्लू-4) को पानी मांगने के लिए बुलाया। जब वह उसे पानी का गिलास देने के लिए बाहर आई, तो उसने देखा कि तीन आरोपी फहीम खान, चोटना और अरसद कादरी उसके बेटे को घेरे हुए हैं। उसने उनसे पूछा कि वे उस जगह क्यों आए थे, जिस पर फहीम खान-अपीलकर्ता ने

अचानक मृतक पर अपनी पिस्तौल से गोली चला दी, जो उसके सिर में लगी और उसकी तुरंत मौत हो गई। पीडब्लू-2 हनीफ से पुलिस को मिली सूचना पर एक पुलिस दल घटना स्थल पर पहुंचा। पीडब्लू-4 हबीबुल निसा का बयान 11 मई, 1989 को 0:10 बजे घटनास्थल पर दर्ज किया गया था, जबकि औपचारिक एफआईआर पुलिस स्टेशन में सुबह 3:00 बजे दर्ज की गई थी। आरोपियों को नियत समय पर गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर मुकदमा चलाया गया, जिसके परिणामस्वरूप ऊपर दी गई घटनाएँ घटित हुईं।

3. इस अपील की सुनवाई के दौरान अपीलकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सुशी कुमार ने मुख्य रूप से चार तर्क प्रस्तुत किए हैं। उन्होंने सबसे पहले यह दलील दी है कि निचली अदालत ने आरोपी को बरी कर दिया है और इसलिए उच्च न्यायालय को बरी किए जाने के खिलाफ अपील में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए क्योंकि मामले की परिस्थितियां हस्तक्षेप की मांग नहीं करती हैं। उन्होंने यह भी दलील दी है कि एफआईआर जाहिर तौर पर देरी के बाद दर्ज की गई थी और देरी के तथ्य को छिपाने के लिए कार्यवाही में हस्तक्षेप किया गया था। इस पहलू पर प्रकाश डाला गया है कि यदि जांच रिपोर्ट एफआईआर दर्ज होने के बाद दर्ज की गई थी, तो जांच रिपोर्ट में एफआईआर की संख्या होनी चाहिए थी और चूंकि यह विवरण गायब था, इससे संकेत मिलता है कि एफआईआर अपने कथित समय पर दर्ज नहीं की गई थी। अंत में यह दलील दी गई है कि पीडब्लू-4 द्वारा दी गई कहानी कि उसने अपने बेटे को उठाने की कोशिश की थी, गलत थी क्योंकि अगर ऐसा होता, तो उसके कपड़े खून से सने होते लेकिन इस आशय का कोई सबूत नहीं था, जिससे उसकी उपस्थिति पर संदेह होता। अंत में दलील दी गई कि सीआरपीसी की धारा 313 के तहत अभियुक्तों के बयान बहुत ही लापरवाही से दर्ज किए गए थे और इस कारण से भी अपीलकर्ता बरी होने का हकदार है। इस दलील के समर्थन में श्री सुशील कुमार ने असरफ अली बनाम असम राज्य [2008 (16) एससीसी 328) और रणवीर यादव बनाम बिहार राज्य [2009 (6) एससीसी 595] का हवाला दिया है।

4. तथापि, बिहार राज्य (अब झारखंड) के विद्वान वकील ने उच्च न्यायालय के निर्णय का समर्थन किया है तथा बताया है कि उच्च न्यायालय का मत था कि अभियुक्त को बरी करने वाला ट्रायल जज का निर्णय गलत था तथा इस स्थिति में हस्तक्षेप न केवल अपेक्षित था, बल्कि अत्यावश्यक भी था।
5. हमने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है और अभिलेख का अवलोकन किया है। यह सच है कि दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील में उच्च न्यायालय का हस्तक्षेप कुछ हद तक सीमित है और हस्तक्षेप केवल ऐसे मामले में किया जाना चाहिए जहां ट्रायल कोर्ट का निर्णय विकृत था और साक्ष्य पर आधारित नहीं था। हालांकि, यह अच्छी तरह से स्थापित है कि उच्च न्यायालय ट्रायल कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय का परीक्षण करने के लिए पूरे साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन कर सकता है और यदि दो दृष्टिकोण संभव हैं, तो ट्रायल कोर्ट द्वारा लिए गए एक दृष्टिकोण में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। इसके विपरीत यदि यह पाया जाता है कि ट्रायल कोर्ट का निर्णय विकृत था या साक्ष्य के विरुद्ध था, तो यह न्याय का उपहास होगा यदि उच्च न्यायालय चुपचाप बैठा रहे और मामले में हस्तक्षेप न करे। हमने इस व्यापक सिद्धांत के प्रकाश में उच्च न्यायालय और सत्र न्यायाधीश के निर्णय का अध्ययन किया है और तदनुसार इस पृष्ठभूमि में साक्ष्य की पुनः जांच की है।
6. श्री सुशील कुमार द्वारा उठाया गया पहला तर्क एफआईआर दर्ज करने में देरी के संबंध में है, क्योंकि जांच रिपोर्ट में एफआईआर नंबर नहीं था। हालाँकि यह तर्क इस धारणा से निकलता है कि एफआईआर घटनास्थल पर दर्ज की गई थी। यह कभी भी स्थिति नहीं हो सकती क्योंकि एफआईआर हमेशा पुलिस स्टेशन में दर्ज की जाती है। यह साक्ष्य में आया है कि पीडब्लू-4 का बयान 11 मई, 1989 को लगभग 0:10 बजे सब-इंस्पेक्टर एसएन दास-पीडब्लू द्वारा घटनास्थल पर दर्ज किया गया था। यह बयान पुलिस स्टेशन ले जाया गया था और औपचारिक एफआईआर सुबह 3:00 बजे दर्ज की गई थी। यह महत्वपूर्ण है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार शव 11 मई, 1989 को सुबह 6:30 बजे अस्पताल में प्राप्त हुआ

था, यानी एफ.आई.आर. के 3 घंटे के भीतर सभी प्रासंगिक कागजात के साथ जिसमें जांच के कागजात शामिल होंगे। यह सच है कि सीआरपीसी की धारा 157 (3) के तहत विशेष रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को दो दिन बाद मिली थी, लेकिन हमें बताया गया है कि बिहार राज्य में यह एक सामान्य प्रक्रिया है। इसलिए, हमें सुशील कुमार की पहली दलील में कोई दम नहीं दिखता।

7. पी.डब्लू.-4 के कपड़ों पर खून के निशान न होने के संबंध में दूसरा तर्क, जिसके कारण यह निष्कर्ष निकलता है कि वह घटना की चश्मदीद गवाह नहीं थी, भी उतना ही बेबुनियाद है। अपने साक्ष्य में पी.डब्लू.-4 ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जब उसके बेटे ने पानी का गिलास मांगा था, तो उसने उसके लिए एक बोतल निकाली थी और गोलीबारी देखी थी। उसने यह भी कहा कि अपीलकर्ता-फहीम खान और उसके दामाद महफूज खान के बीच संबंध तनावपूर्ण थे और इसी कारण उसके बेटे की हत्या की गई थी। उसने यह भी बताया कि वह अपनी बेटी के घर आई थी क्योंकि उसे बच्चे को जन्म देना था और इस प्रक्रिया में वह घटना के समय मौजूद थी। उसने पूछताछ के दौरान अदालत में तीनों आरोपियों की पहचान भी की। उसके साक्ष्य से यह भी पता चलता है कि उसने वास्तव में अपने बेटे को गोली लगने के बाद उठाने की कोशिश की थी, लेकिन इस कथन से यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि उसके कपड़ों पर खून के गहरे धब्बे थे। यह भी महत्वपूर्ण है कि पी.डब्लू.-4 के कथन का समर्थन हनीफ खान-पी.डब्लू.-2 के साक्ष्य से होता है। यह वह गवाह था जिसने हत्या की सूचना पुलिस स्टेशन को दी थी, जिसके बाद पुलिस दल घटनास्थल पर पहुंचा था। हनीफ ने बताया कि जब वह फिल्म देखकर घर लौटा तो उसने देखा कि सगीर हसन सिद्दीकी का शव पड़ा था और उसकी मां उस पर रो रही थी। उसने यह भी बताया कि मृतक महफूज अहमद के घर में रहता था जो उसका साला है और उसकी मां उनके साथ रहती थी। अभियोजन पक्ष की कहानी को पीडब्लू-7 सब-इंस्पेक्टर एस.एन. दास के साक्ष्य से भी समर्थन मिलता है। यह

वह अधिकारी था जिसने घटनास्थल पर पीडब्लू-4 का बयान दर्ज किया था और फिर उसे एफआईआर दर्ज करने के लिए पुलिस स्टेशन भेजा था।

8. अतः हमारा यह मत है कि PW-4 द्वारा दी गई अभियोजन पक्ष की कहानी पूर्णतः विश्वास उत्पन्न करती है, भले ही आलमगीर- PW-1, जिसके घर के बाहर घटना घटी, ने अभियोजन पक्ष का समर्थन नहीं किया।
9. यह सच है कि धारा 313 के तहत दर्ज अभियुक्तों के बयान बहुत ही सतही हैं और धारा 313 की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते हैं। हालाँकि हम पाते हैं कि इस संबंध में किसी भी स्तर पर कोई भी तर्क नहीं उठाया गया था, हालाँकि यह मामला पहले कई बार अपीली स्तर पर ऊपर-नीचे जा चुका था। हालाँकि हमारा यह मतलब नहीं है कि दोषपूर्ण 313 के संबंध में कोई तर्क एसएलपी चरण में नहीं उठाया जा सकता है, लेकिन हमने इस मामले में एसएलपी के आधारों पर गौर किया है और पाया है कि एसएलपी में हमारे सामने भी कोई आधार नहीं उठाया गया है। इस आंकड़े पर किसी भी शिकायत के अभाव में, हमें यह मान लेना चाहिए कि दोषपूर्ण 313 बयान के कारण अपीलकर्ता को कोई पूर्वाग्रह नहीं हुआ था। श्री सुशील कुमार द्वारा उद्धृत मामले निस्संदेह 313 बयान के महत्व और अभियोजन पक्ष के लिए निहितार्थों के बारे में बात करते हैं, अगर कोई दोष हो। हालांकि, यह भी समान रूप से स्थापित है कि पूर्वाग्रह के बारे में आपत्ति जल्द से जल्द ली जानी चाहिए [देखें शोभित चमार और अन्य बनाम बिहार राज्य (1998 (3) धारा 455) । और पूर्वाग्रह को तब दिखाया जाना चाहिए जब मुकदमे को अमान्य कहा जा सके [इस संबंध में शिवाजी साहेबराव बोबड़े बनाम महाराष्ट्र राज्य (एआईआर 1973 एससी 2622) और संतोष कुमार सिंह बनाम सीबीआई के माध्यम से राज्य (2010 (9) धारा 747) देखें]। इस विलम्बित चरण में भी अभियुक्त के प्रति कोई पूर्वाग्रह नहीं दिखाया गया है। इसलिए यह माना जाना चाहिए कि वास्तव में कोई पूर्वाग्रह नहीं हुआ है।
10. अतः हमारा यह मत है कि इस अपील में कोई दम नहीं है। तदनुसार इसे खारिज किया जाता है।

आर. पी. **अपील खारिज कर दी गई**

यह अनुवाद मधु कुमारी, पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया है।